



2026:AHC:37442

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4690 सन् 2026

अशोक कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : आकाश किशन, अशोक कुमार गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : अचल सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित है, तो वह व पस बुलाने के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है।
3. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील कुलपहाड़, जिला महोबा को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत दायर 2023 के मामले संख्या 4821 (कम्प्यूटरीकृत केस नंबर T202507480302153) पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका दायर की है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि काफी समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका का निस्तारण प्रतिवादी संख्या 2/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसील कुलपहाड़, जिला महोबा को उपरोक्त मामले को कानून के अनुसार सख्ती से, लेकिन संबंधित सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फरवरी 19, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"